न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 63/2013

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर
(तत्समय कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर)

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री प्रेमकिशन कांकाणी पुत्र श्री ओमप्रकाश कांकाणी, (विक्रेता) मैसर्स दीनदयाल ट्रेडिंग कम्पनी, ब्लू केसल, पड़ाव, अजमेर।
2. मैसर्स दीनदयाल ट्रेडिंग कम्पनी, ब्लू केसल, पड़ाव, अजमेर।
3. श्री रामदयाल जैन, मैसर्स रामदयाल जैन ट्रेडिंग कम्पनी, बी-38, राजधानी कृषि मण्डी, कूकरखेड़ा, सीकर रोड, जयपुर (मृतक)
4. मैसर्स रामदयाल जैन ट्रेडिंग कम्पनी, बी-38, राजधानी कृषि मण्डी, कूकरखेड़ा, सीकर रोड, जयपुर

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 व 52 के तहत

अभिभाषक : श्री शैलेन्द्र शर्मा, अप्रार्थीगण की ओर से

-: आदेश :-

दिनांक- 23.07.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर तत्समय (कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर) ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) एवं मिस ब्राण्ड घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.11.2012 को 03:15 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स दीनदयाल ट्रैडिंग कम्पनी, ब्लू कैसल, पड़ाव, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री प्रेम किशन कांकाणी मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से वर्ष 2012 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर उसने प्रस्तुत कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय श्री सरस ब्राण्ड घी के एक एक लीटर, आधा आधा लीटर एवं 200–220 मिली के पैक्ड पैकेट आम जनता कों विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त घी कीं गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 200–200 मिली के 04 पैक्ड घी पैकेट, 280/– रूपयें श्री प्रेम किशन कांकाणी को नगद देकर गवाह के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री प्रेमकिशन कांकाणी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा घी को विक्रेता के सामने चार साफ खुली प्लास्टिक बोतल (प्रत्येक में 200मिली) में भरकर प्रत्येक बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर एजे/373 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2012/13029 दिनांक 06.12.2012 के अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/846/एफएसएसए/2012/835 दिंनांक 23.11.2012 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया श्री सरस ब्राण्ड घी अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) एवं मिस ब्राण्ड (मिथ्या छाप) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 09.10.2013 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 09.10.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा कई अवसर प्रदान किये जने के बावजूद भी जबाब नोटिस पेश नहीं किया गया तथा न ही वकील अप्रार्थीगण अथवा अप्रार्थीगण स्वय उपस्थित हुए। दिनांक 24.07.2025 को अप्रार्थी सं 3 की ओर से उनके पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि श्री रासदयाल जैन का देहान्त दिनांक 19.03.2015 को हो गयी है, जिसका मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध अब कोई कार्यवाही नहीं चल सकती।

न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया श्री सरस ब्राण्ड घी अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) तथा मिस ब्राण्ड (मिथ्या छाप) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया श्री सरस ब्राण्ड घी अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) तथा मिस ब्राण्ड (मिथ्या छाप)होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री प्रेमकिशन कांकाणी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) तथा मिस ब्राण्ड (मिथ्या छाप)पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर रु. **10,000/– (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र)** शस्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 23.07.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री प्रेमकिशन कांकाणी पुत्र श्री ओमप्रकाश कांकाणी, (विक्रेता) मैसर्स दीनदयाल ट्रेडिंग कम्पनी, ब्लू केसल, पड़ाव, अजमेर।
5. मैसर्स दीनदयाल ट्रेडिंग कम्पनी, ब्लू केसल, पड़ाव, अजमेर।
6. श्री रामदयाल जैन, मैसर्स रामदयाल जैन ट्रेडिंग कम्पनी, बी–38, राजधानी कृषि मण्डी, कूकरखेड़ा, सीकर रोड, जयपुर
7. मैसर्स रामदयाल जैन ट्रेडिंग कम्पनी, बी–38, राजधानी कृषि मण्डी, कूकरखेड़ा, सीकर रोड, जयपुर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर